कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602
E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

श्योपुर, दिनांक 21-4-2023

क्रमांक / डी.एम. / 2023 / 2953

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :— श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 गोरस–श्यामपुर मार्ग के विस्तारित / चौड़ीकरण हेतु 52.164 हैक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत् ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/124417/2021)

संदर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 003/2022-BHO दिनांक 29.03.2023 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1090 / 2021 / 10–1 / 1338 दिनांक 04.04.2023 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित ज्ञापनों के तारतम्य में लेख है कि श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 गोरस–श्यामपुर मार्ग के विस्तारित / चौड़ीकरण में प्रभावित भूमि रकबा 52.164 हैक्टेयर के व्यपवर्तन की भारत सरकार के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 29.03.2023 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक अनुमति (सशर्त) जारी की गई है, जिसमें निम्नानुसार अधिरोपित शर्त क्रमांक A(1), A(2,3) के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परियोजना राशि एवं प्रभावित वनभूमि हेतु एन.पी.व्ही. राशि आपके द्वारा जमा कराई जाकर संदर्भित पत्रों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे —

01. शर्त बिंदु क्रमांक A(1, 3) के निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 52.164 हैक्टेयर के बदले दो गुना बिगड़े वनक्षेत्र रकबा 106.00 हैक्टेयर में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परियोजना राशि रूपये 332.41349 लाख निर्देशानुसार ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे, जिसकी प्रति इस कार्यालय में पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करे।

02. शर्त बिंदु क्रमांक A(2,3) के निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि रकबा 52.165 हैक्टेयर हेतु, एन.पी.व्ही. राशि रूपये 603.86524 लाख ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। प्रति पालन प्रतिव्रेदन के साथ प्रस्तुत करे।

पत्रक

क्र.	प्रस्तावित योजना	प्रस्तावित व्यपवर्तित रकबा	जमा की जाने वाली राशि (लाख में)		
			क्षतिपूर्ति वनीकरण (सी.ए.) हेतु	एन.पी.व्ही.	कुल योग
01	02	03	04	05	06
01	नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 गोरस– श्यामपुर मार्ग के विस्तारित / चौड़ीकरण	52.165 हैक्टेयर	332.41349	603.86524	936.27873

पी.टी.ओ–02

Scanned with OKEN Scanner

03. शर्त बिंदु क्रमांक A(4) के पालन में व्यपवर्तित वनभूमि के संबंध में एफ.आर.ए. प्रमाण –पत्र निर्धारित प्रारूप पर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा जारी कराया जाकर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

04. शर्त बिंदु क्रमांक A(6) के पालन में रोड़ साईड प्लान्टेशन हेतु संबंधित उपवनमंडलाधिकारी श्योपुर, कराहल एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी श्योपुर, बुढेरा, कराहल, खाड़ी से सम्पर्क स्थापित कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाकर प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करे, ताकि प्रोजेक्ट की प्रस्तावित राशि जमा कराये जाने बावत् पृथक से अवगत कराया जा सकें ।

05. शर्त बिंदु क्रमांक B(4) के तहत प्रस्तावित व्यपवर्तित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों 3684 की कटाई एवं डिपो तक परिवहन एवं चट्टे लगाने आदि में आंकलित राशि जमा हेतु शीघ्र ही पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

अतः भारत सरकार द्वारा संदर्भित जारी सैद्धांतिक अनुमति में समस्त अधिरोपित शर्तों का पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(सी0एस0चौहान)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/डी.एम./ 2023/ 2954
श्योपुर, दिनांक 21-4-2023

प्रतिलिपि :–

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रवंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
02. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेपित ।
03. उपवनमंडलाधिकारी उपवनमंडल श्योपुर, कराहल/वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र श्योपुर, बुढेरा, खाड़ी, कराहल की ओर भेजकर लेख है कि श्योपुर जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 गोरस– श्यामपुर मार्ग के विस्तारित/चौड़ीकरण हेतु आवेदक संस्था के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर रोड साईड प्लान्टेंशन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner